

28-02-22

अनंत
जोशी
Voted
38/2/22

पत्रावली पेश हुई। वकील उमथपथ उपस्थित वकील वादी द्वारा 'नोट-प्रेस' किया जाकर विवेकन किया गया है कि वादी प्रकरण में आगामी कार्यवाही नहीं चाहते हैं। वर्ष 2019 से साक्ष्य वादी में किया गद्य है। वादी वादी प्रकरण में अब कार्यवाही नहीं चाहते हैं, अतः वकील वादी के आदेशिका पर हस्ताक्षर करवाये जाकर वकील विपक्ष अर्थात्/प्रतिवादी संख्या-2 को नोटिड करवाया गया। पत्रावली स्वारीज किया जाना 'नोट-प्रेस' किये जाने के कारण उचित है। अतः वाद वादी वाकल स्थायी विवेकधारा 'नोट-प्रेस' में स्वारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार लेकर नंबर से कमा लेकर दारिजल दफतर है। विषय सुले न्यायालय में सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय सुशा से जारी किया जाता है।

प्रति

सहायक कलक्टर
साँभर लेक

